न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 57/2024

श्री लालाराम परिहार (भू.पू.सै.) एच नम्बर 89 ए रेलवे सोसायटी बजरंग नगर नयापुरा कोटा पिन 324001 --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 26.11.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 700 दिनाक 14.09.2024 से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, कार्यालय जिला सैनिक कल्याण विभाग टोंक एंव लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

बिन्दू-1 जिला सैनिक सचिव/ जिला कलेक्टर टोंक प्राप्ति पंजीयन पत्रांक दिनांक 28.07.2024 प्राप्ति 01.08.2024 प्रथम स्मरण पत्राक दिनांक 14.08.2024 प्राप्ति 14.08. 2024 सुविधा व पार्दर्शिता में परिवाद/ शिकायत का जवाब तैयार करने-पत्रोतर सक्षम कर्मचारी अधिकारी के नाम पद एवं पत्रोतर सूचनार्थ पत्रांक देवे।

क- समस्या समाधान पार्दशिता मे नियमानुसार जिला पुलिस अधीक्षक टोंक लोकायुक्त में पेश जाच रिर्पोट सत्य-असत्य अग्रिम कार्यवाही में प्रेषित पत्रांक देवे (परिवाद बिन्दू 1 व 2)

ख- प्राप्ति परिवाद सलग्न चार सत्यप्रतियां एव स्मरण पत्रांक मे आदिनांक पत्रांक सूचनार्थ अप्राप्ति है सभी बिन्दू उचित -पदिर्शिता में कोई कार्यवाही नही किये जाने पर दोषी अधिकारीयों- कर्मचारियो के नाम-पद देवे।

बिन्दू-2 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टोंक संचालन निविदा वाहन टैक्सी वित्तिय वर्ष 2023-2024 एवं वर्ष 2024-25 कार्यआदेश, प्राप्ति बिलो, भूगतान में अग्रिम प्रेषित बिल किस खाता में भूगतान किया, लाग बुक सभी अभिलेख कि मूल पत्रावली अवलोकन उपरान्त चिन्हित दस्तावेज देवे।

क- उक्त अवधि कि मूल लाग बुक/ वाहन टैक्सी सचांलन मूल पत्रावली चिन्हित दस्तावेज देवे

ख- उक्त अवधि कि दैनिक उपस्थित/ आवक-जावक अभिलेख पुस्तिक उपलब्ध करावे

बिन्दू-3 लोकायुक्त परिवाद- F.35(138)L/as-2022, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी टोंक, लोकायुक्त में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय-कोटा वाहन टैक्सी से कोटा जाना-आना सूचनार्थ किया निम्न सूचना देवे

जिला कलेक्टर
टोंक

क– वाहन टैक्सी जिला– संभागिये मुख्यालयों से बाहर जाने में जिला सैनिक सचिव– जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित पत्रांक प्राप्ति स्वीकृती–अस्वीकृती मय साक्ष्य दस्तावेज–सूचना देवे

ख– लोकायुक्त परिवाद में जॉच आदेश पत्रांक/ जाच रिपोर्ट पेश पत्रांक उपलब्ध करावे

ग– कोटा सैनिक कार्यालय से जॉच मे सभी प्राप्ति दस्तावेज अधिकारी– अधिकृत कमचारियो के दर्ज बियानो कि सत्य प्रतिया देवे

बिन्दू–4 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू प्रकरण संख्या 36/2004 उनवानी लादू बनाम रामनारायण वगैराह निर्णय दिनांक 12.05.2011 पालना रिर्पोट पत्रांक 1224 दिनांक 31.03.2022 तहसीलदार पीपलू दिया गया, तहसीलदार पत्रोत्तर कमांक 2612 दिनांक 26.07.2023 प्रतिकिया तकासमा रिर्पोट मे तहसीलदार हस्ताक्षर नही है नक्शा ट्रेश व्हाईटनर लाल पेन से कटीगं होना सूचनार्थ किया गया

क– मूल नक्शा ट्रेस कि सत्य प्रतिया देवे

ख– नक्शा ट्रेस कि मूलप्रति– पत्रावली सक्ष्म अधिकारी– कर्मचारी के अधीन अभिलेख संधारण (रखागया) सभी के निर्णय दिनांक से आदिनांक नाम–पद कि सूची उपलब्ध करावे

ग– पदस्थान अधिकारी कर्मचारी के समय मूल नक्शा ट्रेस कटीग, व्हाईटनर लगाया– काट– छाट किया गया उनके नाम साक्ष्य (दैनिक उपस्थिती) नाम–पद कि सूचना देवे,

घ– मूल नक्शा ट्रेस एव कटिंग नक्शा ट्रेस असमानताओ कि सूची मय साक्ष्य देवे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू को पत्र कमांक 1503 दिनांक 10.10.2024 व 1577 दिनांक 25.10.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू ने पत्र कमांक 07 दिनांक 23.10.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 08 दिनांक 23.10.2024 से सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, टोंक से संबंधित बिन्दुओं के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, टोंक से संबंधित बिन्दुओं के संबंध में उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर (राजस्थान)